(1) B.A.I Hons

International Finance Corporation (अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम)

बेटनवुडस सम्मेलन में इस बात की चर्चा की गई थी कि हिस्सेदारी के आधार पर विकासशील देशों में पूँजी के निवेश की व्यवस्था की जाए, परन्तु कई विशेषज्ञों जैसे लॉर्ड केन्स, वाईट, मौरगन आदि ने इसका विरोध किया और अतः यह तय हुआ कि I.B.R.D. बिना सरकार की गारन्टी के निजी उपक्रमों को ऋण न दे। दिसम्बर 1954 में संयुक्त राष्ट्र-संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव में I.B.R.D. से प्रार्थना की कि वह इस प्रकार की संस्था के लिए एक चार्टर तैयार करे। 11 अप्रैल, 1955 को IBRD ने I.F.C. की व्यवस्था सम्बन्धी मसौदा अपने सदस्यों के सामने रखा। जुलाई 1956 में इसके सदस्यों की संख्या 31 हो जाने पर इसकी विधिवत स्थापना हो गई। जून 2001 में इसके सदस्यों की संख्या 175 थी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य। निगम का मूल

उद्देश्य विश्व बैंक के एक पूरक रूप में, उत्पादनशील निजी उद्यम के विकास को विशेषतः अर्द्ध-विकसित देशों में प्रोत्साहन देना है। IFC के उद्देश्य निम्न हैं:

(1) निजी उद्यमों के विकास, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करना और इसके लिए बिना सरकार की गारंटी के सदस्य देशों में स्थित निजी उद्योगों में निवेश करना।

(2) निवेश के अवसरों, देशी और विदेशी, निजी पूँजी तथा अनुभवी प्रबन्धन को परस्पर मिलाना और इनके सहयोग स्थापित करना।

(3) सदस्य राष्ट्रों में घरेलू तथा विदेशी व्यक्तिगत पूँजी को उत्पादनशील निवेशों में प्रवाहित कर उन परिस्थितियों को पैदा करना जो विकास में सहायक हों।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य निजी उद्योगों को धन दिलाना, बिना सरकारी गारन्टी

सरकार की गारंटी लिए, उनमें पूँजी का निवेश करता है। जिन उद्योगों में पूँजी लगायी जाती है, उनके प्रबन्ध में निगम शामिल नहीं होता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि निगम के उद्देश्यों में स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी दोनों की चर्चा की है; अर्थात निगम दोनों प्रकार की पूँजी के निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहता है। अर्थात् इस निगम का उद्देश्य निवेश के अवसरों, निजी पूँजी साधनों तथा अनुभवी प्रबन्ध-कौशल के लिए एक समाशोधन गृह (clearing house) के रूप में काम करना है।

<u>I.F.C. की सदस्यता एवं प्रबन्ध</u>। I.F.C. की सदस्यता केवल उन्हीं देशों को मिल सकती है जो I.B.R.D के सदस्य हैं। यह सदस्यता ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं। ~~इसका~~ निगम का प्रबन्ध भी I.B.R.D के तरह ही होता है। इसका भी एक गवर्नर मंडल होता है जिसमें वित्त निगम के सदस्य देशों द्वारा जो गवर्नर I.B.R.D में मनोनीत किए गए हैं, वे वित्त निगम के भी गवर्नर होते हैं। निगम के दिन-प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिए एक संचालक बोर्ड होता है जिसमें I.B.R.D के संचालक बोर्ड के वे सदस्य जो वित्त निगम के भी सदस्य हैं; सम्मिलित होते हैं। I.B.R.D का अध्यक्ष वित्त निगम के संचालक बोर्ड का पदेन (ex-officio) चेयरमैन होता है। विश्व बैंक की भाँति ही निगम के प्रत्येक सदस्य को 250 मत प्राप्त हैं और प्रति 1,000 डालर के अंशदान पर एक अतिरिक्त मत प्राप्त होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की कार्य-प्रणाली

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित सिद्धान्तों के निर्देशन में कार्य करता है: (1) यह निगम केवल निजी क्षेत्र के उपक्रमों में ही निवेश का प्रयास करता है, सहकारी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित उपक्रमों में नहीं। सहायता देते समय अर्द्धविकसित देशों को प्राथमिकता दी जाती है। निवेशों के लिए सरकारी गारण्टी की आवश्यकता नहीं है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम व्यक्तिगत निवेशकों के साथ साझेदारी में

Scanned with CamScanner

में निवेश करता है परन्तु इसके द्वारा लगाई गई पूँजी किसी उपक्रम में लगी कुल पूँजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक निजी पूँजी के निवेश को प्रोत्साहित करना होता है।

3। यह औद्योगिक, कृषि परामर्श, खनन, वाणिज्य तथा उत्पादक स्वरूप वाले ऋण लेने प्रकार के व्यक्तिगत उपक्रमों को सहायता दे सकता है परन्तु प्रमुख रूप से औद्योगिक उपक्रमों को ही सहायता दी जाती है।

(4) वित्त निगम छोटी इकाईयों को पूँजी देता है जिनके लिए भारी निवेश की न्यूनतम राशि 5 लाख डालर के लगभग है। साधारणतया वित्त निगम किसी औद्योगिक इकाई में 1 लाख डालर से कम तथा 30 लाख डालर ~~[illegible]~~ से अधिक पूँजी नहीं लगाना चाहता है।

(5) वित्त निगम उद्योग को केवल व्यक्तिगत जमानत पर ही बिना कोई गारंटी लिए अथवा सम्पत्ति बंधक में रखे ऋण दे सकता है।

(6) निगम द्वारा दिए गए ऋणों की ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं जिनका निर्धारण निवेश की प्रकृति व उससे सम्बन्धित जोखिम आदि को ध्यान में रखते हुए निगम तथा ऋणी व्यवसाय के बीच किए गए समझौते के आधार पर होता है।

(7) साधारणतया निगम के ऋणों ~~के~~ के भुगतान की अवधि 5 से 15 वर्ष तक की होती है। (9) निगम द्वारा दिए गए ऋण पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता कि ऋणी उद्योग उसे किसी निश्चित कार्य के लिए ही लगाये।

<u>भारत में निवेश</u> — भारत अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का प्रारंभ से ही सदस्य रहा है निगम की पूँजी में भारत ने 4.43 मिलियन डालर के अपने हिस्से की अदायगी किया। 1958 से ही भारत में वित्त निगम ने जून 1986 तक 43 कंपनियों में कुल 200 मिलियन डालर की पूँजी लगायी थी। 1952 मिलियन डालर की बकाया राशि 24 कंपनियों से बाकी थी। 1991 में निगम द्वारा भारतीय कंपनियों में 209 मिलियन डालर के 8 निवेश स्वीकृत किए गए। 1996 के वित्तीय वर्ष में भारत में 17 परियोजनाओं के लिए 40.1 मिलियन डालर के निवेश स्वीकृत किए गए। 1997 को वित्तीय वर्ष में वित्त निगम ने कुल 212.31 मिलियन डालर के परियोजना वित्त की व्यवस्था की थी इन परियोजनाओं की कुल लागत 539.1 मिलियन डालर थी। जून 1998 के अंत तक वित्त निगम के भारत में संचयी निवेशों की राशि 801.4 मिलियन डालर थी जिसमें 569.1 मिलियन डालर के ऋण तथा 232.6 मिलियन डालर की पूँजी में भागीदारी थी। 2003 में निगम के भारत में निवेश लगभग 1 मिलियन डालर के हो गए थे। वर्ष 2007 तथा 2008 में निगम द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 मिलियन डालर से अधिक निवेश किए गए जून 2009 और

Scanned with CamScanner

(4) में निगम द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार निवेश किए गए।

प्रारंभिक वर्षों में निगम ने भारत में बड़े उद्योगों में निवेश किया। वर्तमान वर्षों में निगम ने निजी उद्योगों, बिजली, पूँजी बाजार तथा पेट्रोरसायन आदि से सम्बन्धित परियोजनाओं में भी निवेश किए हैं। विश्व निगम ने भारतीय कंपनियों को विदेशों में पैसे तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलवाने में सहायता की है। विश्व निगम ने अब नई दिल्ली तथा मुंबई में अपने कार्यालय स्थापित कर लिए हैं।

भारत के लिए निगम का उद्देश्य चार कार्यों की ओर अधिक ध्यान देना रहा है जो इस प्रकार हैं — (1) वित्तीय क्षेत्र का विकास करना (2) भारतीय कंपनियों के विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना, (3) भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों में ले जाना तथा विश्व के पूँजी बाजार से प्राप्त करने में सहायक होना तथा (4) विशेष रूप से मध्यम आकार की कंपनियों को ~~[illegible]~~ विदेशी के रूप में पूँजी निवेश बढ़ाना। भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति निगम के कार्यों के विस्तार में बाधाओं को उदार की दिशा में महत्वपूर्ण है।

Kumari Manju
Deptt of ECO
R.N. College Hajipur

B.A.I Hons.
Kumari Manju
Depatt of Eco

I.D.A (International Development Association) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ → अ

I.D.A की स्थापना का विचार सर्वप्रथम अमेरिका के सीनेटर मौनरोनी (Senator Monroney) ने रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों को आसान शर्तों पर उदारतापूर्वक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति आईजनहावर ने भी इस विचार को अपनी सहमति प्रदान कर दी। अक्टूबर 1958 को I.B.R.D के गवर्नर बोर्ड ने बैंक के प्रशासनिक संचालकों को प्रस्तावित संघ का समझौता-पत्र तैयार करने का आदेश दिया। समझौता पत्र 26 जनवरी, 1960 को तैयार हुआ और सदस्यों की निर्धारित संख्या द्वारा स्वीकृत होने पर 24 सितम्बर, 1960 को लागू कर दिया गया। I.D.A ने विधिवत कार्य 8 नवम्बर 1960 को आरम्भ किया।

I.D.A विश्व बैंक के सुलभ ऋण खिड़की (soft loans window) कहा है। इसका उद्देश्य विश्व बैंक की एक पृथक संस्था के रूप में कार्य करते हुए विकासशील न्यून देशों के लिए सरल शर्तों पर अपने दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था करना है ताकि उन देशों के भुगतान-संतुलनों पर अधिक दबाव पड़े बिना उनकी आर्थिक विकास के लिए पूँजी की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। विकास संघ का उद्देश्य ऋणों की व्यवस्था करना है, अर्थात ऐसे ऋण जो सस्ते हों, दीर्घकालिक हों तथा जिनका भुगतान ऋणी देशों की मुद्रा में स्वीकार कर लिया जाय।

ऋणों की शर्तें, उद्देश्य

I.D.A द्वारा दिए गए ऋणों के सिद्धांत तथा लागत I.B.R.D. द्वारा दिए गए ऋणों से साख (credit) कहा के कारण इन्हें ऋण न कहकर साख कहा जाता है। विकास संघ उन्हीं उद्देश्यों के लिए साख देता है जिनके लिए IBRD द्वारा ऋण दिए जाते हैं परन्तु विकास संघ से केवल गरीब देश ही साख प्राप्त कर सकते हैं।

I.B.R.D द्वारा विकास संघ की स्थापना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि यह "आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला होगा ताकि

विश्व के अर्द्ध विकसित देशों के जीवन स्तर ऊँचा उठ सकेगा, विशेषतः यह ऐसे वित्त का प्रबन्ध होगा जो अधिक लचीली शर्तों पर उनकी विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध हो सकेगा तथा अल्प विकसित देशों के भुगतान संतुलनों पर ~~परम्परागत~~ परम्परागत ऋणों की अपेक्षा कम भार डालते हुए I.B.R.D. की विकास क्रियाओं को पूरक के रूप में आगे बढ़ायेगा।"

I.D.A की सदस्यता, प्रबन्ध एवं पूँजी –

I.B.R.D का कोई भी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का सदस्य बन सकता है। 1961 में संघ के सदस्यों की ~~संख्या~~ संख्या 51 थी जो जून 2001 तक 162 हो गई। संघ की प्रबन्ध व्यवस्था उन्हीं अधिकारियों के हाथ में है जो I.B.R.D. का संचालन करते हैं। I.B.R.D का गवर्नर मंडल तथा प्रशासनिक संचालक मंडल के सदस्यों और अध्यक्ष को विकास संघ के भी यही स्थान प्राप्त होते हैं और वे ex-officio (पदेन) हैसियत में संघ के कार्य करते हैं। बैंक के नियमित कर्मचारी ही संघ के विभिन्न कार्यों की व्यवस्था करते हैं, परन्तु इसे अलग से कर्मचारी अथवा अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है।

संघ की अधिकृत पूँजी 1000 मिलियन डालर निश्चित की गई थी सदस्य देशों के प्रारंभिक अंशदानों का निर्धारण I.B.R.D की पूँजी में अंशदानों के माध्यम पर किया गया था। अंशदानों के आधार पर सदस्य देशों को दो भागों में ~~बाँटा~~ बाँटा गया है प्रथम भाग की सूची में विकसित देश हैं जिन्हें अपने अंशदान की सम्पूर्ण राशि स्वर्ण अथवा परिवर्तनशील मुद्रा में देनी पड़ती है दूसरे भाग की सूची में विकासशील देश हैं जिन्हें अपने अंशदान की राशि का 10% परिवर्तनशील साधनों में तथा शेष 90% भाग अपनी मुद्रा में देना पड़ता है प्रारंभिक अंशदानों का भुगतान किस्तों में करने की व्यवस्था की गई थी।

IDA के कार्य की समीक्षा – संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विकासशील देशों को उनके विकास के लिए सहायता दिलाना है जिसे IBRD ~~से~~ अथवा अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। विकास संघ से गरीब देशों को ही सहायता प्राप्त हो सकती है के लिए।

सरकारी अथवा निजी स्रोतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को संघ द्वारा ऋण दिया जा सकता है। सामान्य सदस्य-गण विकास संघ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण सरल शर्तों पर प्रदान किए जाते हैं या दी जाती है। ऋणों की अवधि, ब्याज की दर तथा भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में संघ ऋण प्राप्तकर्ता देश की आर्थिक स्थिति एवं ऋण के आकार-प्रकार के आधार पर ही निर्णय करता है। ऋणों की अदायगी में छूट दी जाती है कि सदस्य देशों को संघ के लिए गए ऋणों को अपनी ही मुद्रा में अंशतः या पूर्णतः लौटा सकते हैं। संघ द्वारा सदस्य देशों के राजनीतिक मामलों में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकृत किए गए ऋणों का उपयोग परिवहन, उद्योग, विद्युत-शक्ति, कृषि, शिक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए सबसे अधिक सहायता दी गई है। लगभग आधे ऋण एशिया के देशों को दिए गए हैं। संघ

भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ → 1980 में

वित्तीय वर्ष में भारत को स्वीकृत किए गए ऋणों की राशि 1,535 मिलियन डालर थी, जो उस वर्ष में स्वीकृत किए गए कुल ऋणों का 40 प्रतिशत भाग थी। 1990 में भारत को स्वीकृत की गई राशि 832 मिलियन डालर थी जो अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक थी, परन्तु कुल राशि का यह केवल 15 प्रतिशत भाग थी। स्पष्ट है कि विकास संघ से भारत को मिलने वाली सहायता की अपेक्षा कम हो गई।

1990 के बाद के तीन वर्षों में भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1.2 बिलियन डालर की सहायता मिली है जो कि विकास संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता का 15 से 20 प्रतिशत तक रही है।

1994-95 तथा 96 के वित्तीय वर्षों में भारत को विश्व बैंक से स्वीकृत की गई सहायता का परिमाण क्रमशः 834.8, 944.7 तथा 1,301.1 मिलियन डालर थी। 1997 के वित्तीय वर्ष में भारत को स्वीकृत किए गए ऋण की राशि पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। 1999 के वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक द्वारा भारत को केवल 654 मिलियन डालर की सहायता स्वीकृत की गई जो कुल सहायता का लगभग 9.6 प्रतिशत भाग थी। यह कटौती परमाणु परीक्षणों के बाद अमरीकी दबाव का परिणाम है जबकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अमरीका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबन्ध आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं (basic human needs) पर लागू नहीं होंगे।

2000 के वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक द्वारा भारत को 866.5 मिलियन डालर की सहायता स्वीकृत की गई। 2001 के वित्तीय वर्ष में भारत को स्वीकृत की गई सहायता की राशि 520 मिलियन डालर थी जो कि इस वर्ष स्वीकृत की गई कुल सहायता का 13 प्रतिशत था। सहायता की राशि के आधार पर भारत का स्थान तीसरा था जबकि इथियोपिया तथा वियतनाम क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर थे।

~~2002~~ 2002 में विश्व बैंक द्वारा भारत को दिए गए ऋणों की कुल राशि 19,269 मिलियन डालर थी।

2003-4 में अधिकृत सहायता ~~907.1~~ 736.7 (मिलियन डालर में) उपयोग की गई राशि ~~1,065.6~~ 934.7, 2004-05 अधिकृत राशि 1,880 उपयोग की गई राशि 1,660.9. 2005-06 अधिकृत सहायता 628.4 उपयोग की गई राशि 1,200.0. 2006-07 अधिकृत राशि सहायता 1,582.7 उपयोग की गई सहायता 998.9। 2007-08 अधिकृत सहायता 1,286.8 उपयोग की गई सहायता 815.3. 2008-09 अधिकृत सहायता 1,202.6 उपयोग की गई सहायता 1,024.9

[illegible]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ [illegible]